"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2014— भाद्र 27, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-9-34/2014/ त. शि./42.— छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	माननीय श्री न्यायमूर्ति व्ही. के. श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर	- सभापति
2.	श्री हिमांशु गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय, छत्तीसगढ़	- सदस्य (तकनीकी शिक्षा मामलों में विशेषज्ञता)
3.	सुश्री शहला निगार, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व विशेष सचिव, वित्त विभाग)	- सदस्य (वित्त मामलों में विशेषज्ञता)
4.	डॉ. कमल प्रीत सिंह, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, छत्तीसगढ़	- सदस्य (चिकित्सा शिक्षा मामलों में विशेषज्ञता)
5.	श्री आनंद मोहन ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़	- सदस्य (विधि के मामलों में विशेषज्ञता)

No. F - 9-34/2014/ T. E. /42. -In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Niji Vyavasayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the State Government, hereby, constitutes the Admission and Fee Regulatory Committee, consisting of the following members, namely :-

1.	Hon'ble Shri Justice V. K. Shrivastava, (Retired), High Court of Chhattisgarh Bilaspur	-Chairperson
2.	Mr. Himanshu Gupta, Commissioner-cum-Director, Directorate of Technical Education, Chhattisgarh	-Member (expertise in matters of Technical Education)
3.	Ms. Shahla Nigar, Special Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department (Former Special Secretary, Finance Department)	- Member (expertise in matters of Finance)
4.	Dr. Kamal Preet Singh Director, Directorate of Health Services, Chhattisgarh	- Member (expertise in matters of Medical Education)
5.	Mr. Anand Mohan Thakur, Government Pleader, Raipur, Chhattisgarh	- Member (expertise in matters of Law)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.